मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या 07/2020 (एम.ए.सी.पी.सं. 458/2016)
चन्दन यादव बनाम अनुराग वर्मा आदि

<u>23.06.2020</u>

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची चन्दन यादव द्वारा एम.ए.सी.पी. सं. 458/2016 चन्दन यादव बनाम अनुराग वर्मा आदि में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनॉकित 26.04.2019 के अनुपालन में एवार्ड की धनराशि 3,97,216/– रुपये मय ब्याज 7 प्रतिशत वार्षिक, को प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/याची ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का आधार कार्ड व पास बुक की छाया प्रति दाखिल की है। मूल पत्रावली भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी है। जिला न्यायालय झाँसी की वेब साइट पर निर्णय की प्रति उपलब्ध है जिसके अनुसार प्रार्थी मुब. 3,97,216/– रुपये मय ब्याज 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में मुब. 4,68,946/– (चार लाख अरसठ हजार नौ सौ छियालीस) रुपये दिनांक 24.12.2019 को न्यायाधिकरण के सिंडीकेट बैंक के खाते में जमा किये गये हैं। न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 26.04.2019 के अनुपालन में उक्त धनराशि प्रार्थी/याची को प्रदान की जानी है। अतः मेरे विचार से प्रार्थी/याची का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सिंडीकेट बैंक, शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकीर्ण वाद संख्या 07/2020 (एम.ए.सी.पी. सं.458/2016) चन्दन यादव बनाम अनुराग वर्मा आदि के प्रकरण में जमाशुदा धनराशि मु . 4,68,946/– (चार लाख अरसठ हजार नौ सौ छियालीस) रुपये मय अब तक के अर्जित ब्याज की समस्त धनराशि याची चन्दन यादव के खाता सं. 92352010008314 सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तत्काल स्थानान्तरित कर दें तथा अनुपालन आख्या न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by
CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.23
03:44:29 UTC
Reason: Document
Owner
Location: MOTOR
ACCIDENT CLAIM
TRIBUNAL JHANSI